10/विविध-16-06/12 1296(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,

संयुक्त सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय उप निदेशक,

स्वास्थ्य सेवायें, बिहार,

सभी प्राचार्य/अधीक्षक,

राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल,

दन्त एवं देशी चिकित्सा सहित

निदेशक, इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना

प्रचार्य विकलांग भवन बिहार, पटना

राज्य कुष्ट/यक्ष्मा/मलेरिया/फाईलेरिया नियंत्रण पदाधिकारी,

निदेशक यक्ष्मा नियंत्रण पटना/दरभंगा

सभी सी0एस0/ए0सी0एम0ओ0 बिहार

प्रभारी औषधि प्रयोगशाला अगमकुआँ, पटना

प्रभारी राज्य लोक स्वास्थ्य संस्थान पटना।

प्राचार्य फार्मेशी कॉलेज, पटना

सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

(विभागीय मुख्यालय लेखा :- स्वास्थ्य परिवार कल्याण,

देशी चिकित्सा एवं औषधि नियंत्रक)

पटना,दिनांक- 29-11-12

विषयः- वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2011-12 तक के अवधि के सार विपत्रों का समायोजन।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक-252(10) दिनांक- 25.5.2011 एवं पत्रांक-604(10) दिनांक- 10.7.2012 पत्रांक-884(10) दिनांक-24.8.2012 एवं ज्ञापांक-1175 (810) दिनांक- 25.10.2012

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंग में निदेशानुसार कहना प्रसंगधीन पत्र के अनुपालन में आप के सहयोग के बावजूद भी कार्य विभाग यथा- भवन निर्माण, पी0एच0डी0 एवं उर्जा विभाग (विद्युत) देशी चिकित्सा जिला मलेरिया नियंत्रण के साथ टी0सी0-37 में निकासी की राशि का समायोजन महालेखाकार द्वारा नहीं हुआ है। भवन निर्माण, पी0एच0डी0 एवं उर्जा (विद्युत कार्य) से संबंधित ए0सी0 विपत्र जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति या सी0एस0 द्वारा निकासी की गयी है।

इस राशि का डी0सी0 विपत्र सिविल सर्जन-सह-सचिव जिला स्वास्थ्य समिति को जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में संबंधित कार्य विभाग, यथा- भवन निर्माण विद्युत एवं पी0एच0डी0 को निदेशित कराकर विहित प्रपत्र 1 से 27 कंडिका में प्राप्त कर टी0सी0-39 एवं चेक लिस्ट में प्रतिहस्ताक्षर करा कर समर्पित करना है

राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आयुष सहित) में एन0एम0सी0 तथा एन0एम0सी0एच0 को छोड़कर लंबित डी0सी0 विपत्र की समायोजन की स्थिति दयनीय है जो संबंधित प्रचार्य जैसे बुद्धिजीवी पदाधिकारी के प्रशासनिक क्षमता के कमी का द्योतक है। उक्त कार्य में अपने संबंधित अधीनस्थ लेखा कर्मी पर नियमित दबाव बनाकर विहित प्रपत्र में 1 से 9 तक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा भरकर कार्य विभाग यथा भवन विद्युत एवं पी0एच0डी0 से 10 से 17 एवं 18 से 27 तक भराकर मूलप्रति के साथ टी0सी0-39 में भरकर चेकलिस्ट के साथ प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार में जमा करवाना है।

सदृश मामले अन्य कार्यालय यथा लोक स्वास्थ्य संस्थान फारमेशी कॉलेज, विकलांग भवन एवं अन्याय से भी संबंधित कार्य विभाग का डी0सी0 विपत्र प्रेषित किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि कार्य विभाग से चालू कार्य को छोड़कर कार्य सम्पन्न या आरम्भ नहीं हुये कार्य से संबंधित अप्रयुक्त राशि को संबंधित कार्य विभाग (जिसे राशि उपलब्ध करायी गयी) से वापस की कार्रवाई भी आपके द्वारा किया जाना है इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को दिया जाना आवश्यक है ताकि विभाग स्तर से भी कार्रवाई की जा सके।

कोषागार फार्म टी0सी0-37 से निकासी की गयी विपत्र में राशि का मूल अभिश्रव कतिपय कार्यालय द्वारा संलग्न नहीं करने की सूचना महालेखाकार कार्यालय द्वारा दी गयी है जिससे नियमित विपत्र या अभिश्रव सहित विपत्र भी कहा जाता है। इसका टी0सी0- 37 के Duplicate कार्यालय प्रति के सत्यापन के साथ चेक लिस्ट प्रति हस्ताक्षरित करा कर भेजना है। वैसे महालेखाकार कार्यालय द्वारा मूल अभिश्रव के साथ माँगी जा रही है। इसलिये संबंधित कोषागार से सत्यापन कराकर यह आकस्मिकता विपत्र अभिश्रव साथ पारित है तथा टी0सी0-37 से निकासी की गयी है'- के आश्य के पत्र के साथ अभिश्रव की सत्यापित छाया चेक लिस्ट के साथ समर्पित करना है।

सितम्बर 2011 के बाद निकासी की गयी राशि का ए0सी0 विपत्र की राशि का डी0सी0 विपत्र संबंधित कोषागार के माध्यम से प्रेषित किये जाने का निदेश वित्त विभाग द्वारा

दी गयी है ऐसे संबंधित विपत्रों को नये संशोधित कोषागार संहिता में निदेशित बिन्दुओं के आलोक में डी0सी0 विपत्र संबंधित कोषागार में समर्पित कर महालेखाकार से सूची हटाने की कार्रवाई किया जाय । आवश्यकतानुसार संबंधित विभागीय पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

अवशेष लंबित डी0सी0 बिल के समायोजन हेतु पुनः संलग्न तिथिवार कार्यक्रम के अनुसार सूची तैयार कर जिलों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्यक्रम के अनुसार लंबित डी0सी0 विपत्रों का पूर्ण समायोजन कर लिया जाना नितान्त आवश्यक है। इस कार्यक्रम के पश्चात कोई डी0सी0 विपत्र के लंबित रह जाना अनुशासन हीनता का द्योतक होगा।

संबंधित क्षेत्रीय निदेशक स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को भी अपने प्रमंडलान्तर्गत जिले के कार्यक्रमानुसार महालेखाकार प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि व्यक्तिगत रूचि लेकर तत्परता से लंबित डी0सी0 विपत्र का समायोजन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कृपया इसकी प्राथमिकता दी जाय।

प्रधान सचिव क अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(संजय कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः-.....पटना/ दिनांक.....

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार एवं प्रधान सचिव वित्त को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः-.....पटना/ दिनांक.....

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (लेखा एवं ह0) बिहार, पटना को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः-1296(10).....पटना/ दिनांक 29-11-12...

प्रतिलिपिः- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/11/2012

संयुक्त सचिव

महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रेषित त्रुटिपूर्ण सार डी0सी0 विपत्रों का संशोधन एवं समायोजन का प्रस्तावित कार्यक्रम।

1–	3.12.2012	पी0एम0सी0, पी0एम0सी0एच0, एन0एम0सी0, एन0एम0सी0एच0, ए0एन0एम0सी0, ए0एन0एम0सी0एच0–गया, हृदय रोग संस्थान, पटना।
2–	4.12.2012	गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, कैमुर, पटना।
3–	5.12.2012	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, बेतिया, मोतिहारी, मधुबनी, दरभंगा।
4–	6.12.2012	बेगुसराय, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, बांका, भागलपुर।
5–	7.12.2012	छपरा, सिवान, गोपालगंज, नालंदा, बक्सर, पटना, मुख्यालय।
6–	10.12.2012	आयुष से संबंधित सभी चिकित्सा महाविद्यालय, मलेरिया, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, महाविद्यालय एवं अस्पताल घेघा कंट्रोल
7–	11.12.2012	अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल।
8–	12.12.2012	विविध

(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

1296(10)
29-11-12